


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार किशन लाल महरडा, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि, चनाना झुन्झुनू की एसीपी स्वीकृत की गई थी। इसमें कॉलम संख्या 08 में अंकित स्वीकृति तिथि 22.10.2016 के स्थान पर 22.12.2016 पढ़ा जावे। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 13-9-2017

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2016-17


प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II),
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- संशोधन आदेश


इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार महेश कुमार, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि, झुन्झुनू की एसीपी स्वीकृत की गई थी। इसमें कॉलम संख्या 02 में अंकित राउमावि झुन्झुनू के स्थान पर राउमावि लालपुर झुन्झुनू पढ़ा जावें। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक :- 13-9-2017

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2016-17


प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II),
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार सोहन लाल गुप्ता, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि, रामगंजमण्डी, कोटा की एसीपी स्वीकृत की गई थी। इसमें कॉलम संख्या 06 में अंकित 11 30 वर्षीय के स्थान पर 11 20 वर्षीय पढ़ा जावें। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/2016-17

दिनांक :- 13-9-2017

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-1/11),
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर